

जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद महाराजगंज की ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु 29.10.2022 को जिलाधिकारी महाराजगंज/अध्यक्ष DWSM की अध्यक्षता में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद महाराजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु फेज-3 में चयनित फर्म में स्थविक कोया (जे.वी.) प्लॉट नं०- 37.39 नवोदया कालोनी, रोड नं०-2, बंजारा हिल हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत 122 नग डी०पी०आर के तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव:-

जनपद महाराजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के निर्माण एवं संचालन/अनुस्क्षण (10 वर्ष) हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा फेज-3 हेतु फर्म में स्थविक कोया (जे.वी.) प्लॉट नं० 37-39 नवोदया कालोनी, रोड नं०-2, बंजारा हिल हैदराबाद, तेलंगाना को 652 राजस्व ग्राम आवंटित किये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमोदनोपरान्त फेज-3 हेतु फर्म में स्थविक कोया (जे.वी.) को कुल 651 राजस्व ग्रामों की सूची उपलब्ध कराते हुए तत्काल डी०पी०आर० तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में फर्म में स्थविक कोया (जे.वी.) द्वारा जल जीवन मिशन फेज-3 अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमोदित कराये गये 82 राजस्व ग्रामों के 50 नग डी०पी०आर० पत्रांक 758/कार्य-114/72 दिनांक 25.07.2022 द्वारा व 108 राजस्व ग्रामों के 59 नग डी०पी०आर० पत्रांक 980/कार्य-114/104 दिनांक 09.09.2022 द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किये जा चुके हैं।

वर्तमान में फेज-3 अन्तर्गत फर्म में स्थविक कोया (जे.वी.) द्वारा 122 नग डी०पी०आर० प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें 136 ग्राम पंचायतों के 222 राजस्व ग्रामों की कुल 572 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुए कुल 67288 घरों को FHTC प्रदान किया जाना है।

बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)/सदस्य सचिव जिला पेयजल स्वच्छता मिशन समिति द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये समस्त 122 नग डी०पी०आर० सोलर आधारित हैं। उक्त में से 19 नग डी०पी०आर० में प्रति व्यक्ति लागत अनुमन्य सीमा रू० 6400.00 प्रति व्यक्ति से अधिक है, जिसमें हरमन्दिर खुर्द, मुजहना, मथनिया, रामपुर उपाध्याय, हरिरामपुर, ढकही, हरखोडा, परसौना, राजपुर बुजुर्ग, शिवपुर, खैरवा दूवे, लुठवा, बरवाभोज, बरगदवा अयोध्या, बेलवा बुजुर्ग, करेलिया, चैनपुर, ईटहिया एवं मेघौली खुर्द पेयजल योजना के डी०पी०आर० सम्मिलित हैं। उक्त ग्रामों की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ग्रामों को किसी अन्य ग्राम में सम्मिलित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति लागत अधिक है, परन्तु वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि हेतु निर्गत निर्देशों की सीमा में 80 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक संशोधन किये जाने के फलस्वरूप JJM पोर्टल पर प्रति व्यक्ति लागत रू० 8000.00 स्वीकार्य है।

इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 344/W-17/2020-21 दिनांक 04जून,2021 (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार विद्युत से संचालित नलकूप के प्रकरण में 16 घंटे Pumping Hours मानते हुये डी०पी०आर० का विरचन किया गया है व वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि हेतु यथा संशोधित निर्देशों के क्रम में अनुमन्य सीमा 80 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत की सीमा के अनुसार डी०पी०आर० का विरचन किया गया है। उक्त समस्त डी०पी०आर० में कार्यालय ज्ञाप संख्या 1499/E-46/2021 दिनांक 12 फरवरी, 2021 (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार DI/ HDPE Pipe का प्राविधान किया गया है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त डी०पी०आर० में लगायी गयी दरें जल निगम की अन्तिम SOR(2019-20) की दरों से लगभग 10-20 % तक अधिक है। दिनांक 12.04.2022 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सम्बन्धित ग्राम पंचायत (ग्राम प्रधान/सचिव) से इस विषय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है कि इण्डेक्स प्लान के अनुसार ग्राम में कोई भी क्षेत्र पेयजल की सुविधा से वंचित नहीं रहेगा, अर्थात् शतप्रतिशत बस्तियों को पाइप पेयजल से संतृप्त करने हेतु सम्मिलित कर लिया गया है।

निर्णय:- अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, महाराजगंज द्वारा फेज-3 अन्तर्गत 136 ग्राम पंचायतों के 222 राजस्व ग्रामों की कुल 572 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु प्रस्तुत किये गये 122 नग डी0पी0आर0 में से 19 नग डी0पी0आर0 जिनकी प्रति व्यक्ति लागत रु0 6400.00 से अधिक है, का परीक्षण जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कराने व प्रति व्यक्ति लागत, प्रति FHTC लागत के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। उक्त 19 नग डी0पी0आर0 के अतिरिक्त अवशेष 114 ग्राम पंचायतों के 179 राजस्व ग्रामों की कुल 482 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु 103 नग डी0पी0आर0 की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से करने हेतु अनुमोदन पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी एवं अवशेष डी0पी0आर0 शीघ्र प्रस्तुत कराये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही फर्म में स्थविक कोया (जे.वी.) को कवर एग्रीमेंट हो चुके समस्त 18 पाइप पेयजल योजनाओं में कार्य प्रारम्भ करते हुये कार्यों की प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये एवं स्वीकृत हो चुकी समस्त पाइप पेयजल योजनाओं के तृपक्षीय अनुबन्ध तत्काल कराते हुये कवर एग्रीमेंट की कार्यवाही हेतु व शतप्रतिशत भूमि के चिन्हांकन/सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं प्रोजेक्ट मैनेजर फर्म मेसर्स जे0एम0सी0 व में स्थविक कोया (जे.वी.) दिये गये जिससे कार्य के दौरान अनावश्यक विलम्ब ना हों।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
महाराजगंज

जिला विकास अधिकारी
महाराजगंज

जिला वैयक्तिक शिक्षा अधिकारी
महाराजगंज

जिला वैयक्तिक अधिकारी
महाराजगंज

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
महाराजगंज

अधिशासी अभियन्ता (सिवाई)
उ0प्र0 महाराजगंज

अधिशासी अभियन्ता
भूगर्भ जल विभाग
गोरखपुर

परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
महाराजगंज

मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज

प्रभागीय वनाधिकारी
महाराजगंज

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष DWSM
महाराजगंज

जिलाधिकारी/अध्यक्ष DWSM
महाराजगंज